

सं - 075/78-2-2022

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-3

संख्या: 90/चौबीस-पी-3-2022-सी0एम0 25/2022

लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई, 2022

अधिसूचना

चूँकि, उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति 2021, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-4/2021/1792/78-2-2020/254 एलसी/2019 दिनांक 28 जनवरी 2021 द्वारा जारी की जा चुकी है।

और, चूँकि, पूर्वोक्त नीति के पैरा 7.1(द), 7.2(द) एवं 8.4 में, उक्त नीति के अधीन डाटा सेन्टर पार्क्स/डाटा सेन्टर इकाइयां विद्युत आपूर्ति से संबंधित वित्तीय/गैर वित्तीय प्रोत्साहन के पात्र हैं।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, लोक हित में, इस नीति को कार्यान्वित करने के लिये यह निदेश देती हैं कि उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति 2021, के अधीन स्थापित डाटा सेन्टर इकाइयों को, उनका वाणिज्यिक प्रचालन किये जाने के दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत कर शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

एम0 देवराज
प्रमुख सचिव


8.7.22

संख्या-90(1)/24-पी-3-2022 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (2) सचिव, विद्युत नियामक आयोग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (3) अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (4) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा एवं कानपुर विद्युत सप्लाय कम्पनी लि० (केस्को), कानपुर/प्रबंध निदेशक, नोएडा पावर कम्पनी लि०।
- (5) कार्यवाहक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र०, गोमतीनगर, लखनऊ।
- (6) आई०टी ऑफ इलेक्ट्रानिक अनुभाग-2 उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- (7) निदेशक, मुद्रण एवं लेख सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, उ०प्र० में विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख के आगामी अंक में प्रकाशित कराने तथा उसकी 500 प्रतियों शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (8) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।